

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-॥

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

सं.क.	परियोजना/स्कीम का स्थान	बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा मार्ग, तह0 वाइफनगर, जिला-बलरामपुर पंजीयन क्रमांक- FP/C G/ROAD/33043/2018																								
1	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़																								
2	जिला	बलरामपुर																								
3	टन प्रभाग	बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर																								
4	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र(हे.मे.)	संरक्षित वन 2-128 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.50 हे. कुल 2-628 हे.																								
5	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनIVa																								
6	हरियाली का धनत्व	0.4																								
7	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.2 मी. परिगणना एवं एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किया जाये।	साल, बीजा, तीन्सा, शीशम, हल्दु एवं अन्य प्रजाति (गणना पत्रक संलग्न है।) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Compt.N. /Village</th><th>Protected Forest/ Revenu Forest</th><th>Area (Ha.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P-598</td><td>PF</td><td>1.876</td></tr> <tr> <td>P-597</td><td>PF</td><td>0.252</td></tr> <tr> <td>Raghunathanagar</td><td>Revenu Land (Khasara No. 46)</td><td>0.021</td></tr> <tr> <td></td><td>Revenu Land (Khasara No. 47)</td><td>0.352</td></tr> <tr> <td></td><td>Revenu Land (Khasara No. 119)</td><td>0.06</td></tr> <tr> <td></td><td>Revenu Land (Khasara No. 120)</td><td>0.067</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>2.628 Ha.</td></tr> </tbody> </table>	Compt.N. /Village	Protected Forest/ Revenu Forest	Area (Ha.)	P-598	PF	1.876	P-597	PF	0.252	Raghunathanagar	Revenu Land (Khasara No. 46)	0.021		Revenu Land (Khasara No. 47)	0.352		Revenu Land (Khasara No. 119)	0.06		Revenu Land (Khasara No. 120)	0.067		Total	2.628 Ha.
Compt.N. /Village	Protected Forest/ Revenu Forest	Area (Ha.)																								
P-598	PF	1.876																								
P-597	PF	0.252																								
Raghunathanagar	Revenu Land (Khasara No. 46)	0.021																								
	Revenu Land (Khasara No. 47)	0.352																								
	Revenu Land (Khasara No. 119)	0.06																								
	Revenu Land (Khasara No. 120)	0.067																								
	Total	2.628 Ha.																								
8	भू-क्षरण के लिये क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी	निरंक																								
9	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन क्षेत्र अंतर्गत है।																								
10	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डकल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं।																								
11	क्या क्षेत्र में वनस्पति व प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	नहीं।																								

12	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दे।	नहीं।
(8)	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
(9)	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य कर अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं किया गया है।
(10)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	1. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	प्रकरण एल. डब्ल्यू. ई. योजना अंतर्गत प्रस्तावित है जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण प्रावधानित नहीं है।
	2. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	लागु नहीं
	3. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	लागु नहीं
	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
	4. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्रधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	लागु नहीं
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

1 2	विभाग/जिला प्रोफाईल		
	1	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्रफल	7139.200 वर्ग कि.मी.
	2	वनमण्डल का वनक्षेत्र	3051.959 वर्ग कि.मी
	3	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र	1590.778 हे. प्रकरणों की संख्या 16
	4	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	निरंक
	ख	वनेतर भूमि पर	संलग्न है।
	5	तह प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वनभूमि पर	1869.21 हे.
	ख	वनेतर भूमि पर	--
3	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश		आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र न्यूनतम है एवं अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा मार्ग हेतु निर्धारित शर्तों के तहत वन भूमि प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(विवेकानन्द झा)

'भा.व.से.'

वनमंडलाधिकारी

बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर